न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 11/2021/ आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम जाति रैगर निवासी वार्ड नम्बर– 16 लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। –प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिह वकील प्रार्थी की ओर सें। दिनांक – 02.02.2021

नि र्ण य

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम लोसल पटवार हल्का लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वसीयत नामान्तकरण संख्या 2020 दिनांक 22.09.2020 से आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम जाति रैगर हिस्सा 8033/28500 सा0 देह राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है परन्तु प्रार्थी का अन्य दस्तावेज आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड आदि में प्रकाशचन्द पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम जाति रैगर दर्ज चला आ रहा है। वसीयत जिसके आधार पर उप तहसीलदार लोसल द्वारा दिनांक 28.07.2020 को निर्णय किया गया है जिसमें आवेदक का नाम प्रकाशचन्द एवं ओमप्रकाश दोनों नाम अंकित है। आवेदक को प्रकाशचन्द एवं ओमप्रकाश दोनों नामों से जाना एवं पुकारा जाता रहा है इसलिए आवेदक का उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकित ओमप्रकाश पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम जाति रैगर हिस्सा 8033/28500 एवं अन्य रिकार्ड में अंकित प्रकाशचन्द पुत्र प्रताप उर्फ परतुराम होने से आवेदक के वैध खातेदारी हक अधिकारों पर कुठाराघात होने से आवेदक को कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए आवेदक का उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम हिस्सा 803/28500 जाति रैगर सा0 देह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे इस आशय की तहरीर तहसीलदार दांतारामगढ को जारी किया जाना उचित आवश्यक और न्याय संगत है। अतः आवदेन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम लोसल पटवार हल्का लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम ओमप्रकाश पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र प्रताप उर्फ परतुराम संशोधित

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम ओमप्रकाश पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र प्रताप उर्फ परतुराम संशोधित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम लोसल के खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.95 है0 की खातेदारी वसियत नामा0 सं0 2020 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा ओमप्रकाश पुत्र प्रताप उर्फ परतुराम हिस्सा 8033/28500 प्रताब पुत्र डगरिया हिस्सा 55/500 भंवरलाल उर्फ भवंरसिह पुत्र प्रताप उर्फ परतुराम हिस्सा 23/950 मदनलाल पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम हिस्सा 23/950 राजेन्द्रप्रसाद पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम हिस्सा 8033/28500 हंसराज पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम हिस्सा 8033/28500 जाति रैगर के नाम से दर्ज हुई है। प्रकाश चन्द पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम के दस्तावेजों आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाशचन्द है एवं वसियत में प्रकाशचन्द एवं ओमप्रकाश दोनों नाम दर्ज है। प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश के बजाय प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र परतुराम उर्फ परतुराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। प्रार्थी का आवदेन **अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर** 1799 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम लोसल पटवार हल्का लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम ओमप्रकाश उर्फ प्रकाशचन्द पुत्र प्रताब उर्फ परतुराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ